रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कानूनगो सेवानिवृत्त हुए

मुंबई, 3 अप्रैल (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो अपने विस्तारित कार्यकाल का एक साल पूरा होने के बाद शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। हालांकि, ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि कानूनगो को दूसरी बार विस्तार मिलेगा।

कानूनगो 1982 में रिजर्व बैंक से जुड़े थे। वह चार साल तक केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर रहे। वह रिजर्व बैंक के मुद्रा प्रबंधन, बाहरी निवेश, परिचालन, भुगतान एवं समाधान प्रणाली आदि के प्रमुख थे।

सरकार ने उन्हें मार्च, 2017 में डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया था। उस समय उर्जित पटेल रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। उन्होंने तीन अप्रैल, 2017 को पदभार संभाला था। उनका तीन साल का कार्यकाल दो अप्रैल, 2020 को पूरा हुआ था, लेकिन उस समय उन्हें एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था। सरकार ने 10 मार्च को डिप्टी गवर्नर पद के लिए साक्षात्कार रद्द कर दिया था।

चीन में भारतीय कंपनियां यात्रा अंकुशों से चिंतित

बेजिंग, 3 अप्रैल (भाषा)।

चीन में काम कर रही भारतीय कंपनियों और उद्योगों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) ने यहां कोविड-19 की वजह से लागू वीजा और यात्रा अंकुशों के जारी रहने पर चिंता जताई है। इन कार्यकारियों का कहना है कि अंकुशों की वजह से उनकी गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।

चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिसरी के साथ बातचीत में इन कार्यकारियों ने यह चिंता जताई। मिसरी शंघाई की यात्रा पर हैं। उन्होंने भारत की आजादी के 75 साल होने के सिलसिले में आयोजित किए जा रहे अमृत महोत्सव का शुक्रवार को उद्घाटन किया। इस दौरान मिसरी ने शंघाई के आसपास स्थित भारतीय कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी की। शंघाई चीन का कारोबारी केंद्र है। इस बैठक के दौरान आठ क्षेत्रों मसलन कपड़ा, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, रसायन और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 30 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

मिसरी ने ट्वीट किया कि शंघाई में भारतीय कारोबारी प्रतिनिधियों से बातचीत की। इस बातचीत में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आधिकारिक सूत्रों ने एजंसी से कहा कि मिसरी के साथ बैठक के दौरान सीईओ ने बताया कि चीन द्वारा कोविड-19 उपायों के तहत वीजा और यात्रा अंकुश जारी रखे हुए हैं। इससे उन्हें परिचालन में दिक्कत आ रही है। सूत्रों ने बताया कि मिसरी ने मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को आश्वस्त किया कि भारतीय दूतावास यात्रा अंकुशों के मुद्दे पर चीन के अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा।

चीन ने पिछले साल नवंबर में यात्रा अंकुश लगाए थे। उसके बाद भारत और चीन के बीच यात्रा रुकी हुई है। इसके अलावा चीन ने भारतीय नागरिकों के वीजा और निवास परमिट निलंबित कर दिए थे। इन अंकुशों की वजह से 23,000 से अधिक भारतीय विद्यार्थी और सैकड़ों कारोबारी, कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य भारत में ही रह रहे हैं। अभी दोनों देशों के बीच उड़ानों का परिचालन नहीं हो रहा है। भारतीय दूतावास और विद्यार्थियों द्वारा कई बार इसकी मांग किए जाने के बावजूद चीन की ओर से अभी तक यह संकेत नहीं दिया गया है कि वह यात्रा की अनुमति कब देगा। ज्यादातर विद्यार्थी चीन के विश्वविद्यालयों में मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं। इन विश्वविद्यालयों कहना है कि वे अपने देश में फंसे विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं।

नई विदेश व्यापार नीति जल्द घोषित करे सरकार : फियो

नई दिल्ली, 3 अप्रैल (भाषा)।

देश के निर्यातक संघों के महासंघ 'फियो' ने सरकार से नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की जल्द घोषणा करने की मांग करते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए 350 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य तय करने पर जोर दिया है।

फियो के अध्यक्ष शरद कुमार सर्राफ ने मार्च महीने में निर्यात कारोबार में हासिल 58.50 फीसद की जोरदार वृद्धि को न केवल निर्यात क्षेत्र के लिए बेहतर बताया है, बल्कि इसे समूची अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार का संकेत करार दिया है। मार्च 2021 में देश का निर्यात कारोबार एक साल पहले के इसी माह के मुकाबले 58.50 फीसद बढ़कर 34 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

सर्राफ ने कहा कि निर्यात के इस रुझान को बनाए रखने की जरूरत है। ऐसे समय जब देश और दुनिया कोविड-19 महामारी की चुनौती का सामना कर रही थी, ऐसे कठिन वर्ष 2020-21 में देश का निर्यात 290 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच जाना अपने आप में उत्साहपूर्ण है। हालांकि, एक साल पहले के मुकाबले यह 7.4 फीसद कम रहा है। इससे पिछले वर्ष 313.36 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था। वहीं इस दौरान आयात 18 फीसद घटकर 388.92 अरब डॉलर रहा। इससे पिछले साल 2019- 20 में 474.71 अरब डॉलर का आयात किया गया था।

उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि निर्यातकों के दिलो-दिमाग में व्याप्त अनिश्चितता को दूर करने के लिए जल्द से जल्द आरओडीटीईपी दरों को अधिसूचित कर दिया जाना चाहिए। आरओडीटीईपी योजना के तहत निर्यात उत्पादों पर दिए गए शुल्क एवं करों की वापसी निर्यातकों को की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से नई विदेश व्यापार नीति की जल्द से जल्द घोषणा करने का भी आग्रह किया। इसके अलावा भाड़ा शुल्कों को कम करने और निर्यातकों से जुड़े जोखिम वाले मुद्दों को जल्द समाधान करने को भी कहा है।

सर्राफ ने सरकार से ब्रांड इंडिया उत्पादों का विपणन बढ़ाने के लिए निर्यात विकास कोष बनाने की लंबे समय से लटकी मांग को पूरा करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि निर्यात को फिर से दहाई अंक की वृद्धि राह पर लाने के लिए इस क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं में आने वाली विभिन्न कमियों को दूर किया जाना भी जरूरी है।

सर्राफ ने कहा कि मार्च माह में निर्यात वाले प्रमुख 30 उत्पाद समूहों में से 28 में काफी प्रभावी वृद्धि दर्ज की गई। तेल खल, लौह अयस्क, अन्य अनाज, कालीन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, चावल, मसाले, कपास धागा, कपड़ा, हथकरघा उत्पाद आदि, मांस, डेयरी और पॉल्ट्री उत्पादों, सेरेमिक उत्पादों और शीशे के सामान, दवाओं, औषधियों, ऑर्गेनिक और अजैविक रसायनों का निर्यात बेहतर रहा है। कॉफी, फल, सब्जियों, चमड़ा और चमड़ा उत्पादों, तंबाकू और चाय का भी मार्च माह के निर्यात में बेहतर योगदान रहा है।

> “ *भाड़ा शुल्कों* को कम करने और निर्यातकों से जुड़े जोखिम वाले मुद्दों का जल्द समाधान करने का भी अनुरोध।

सरसों, सोयाबीन तेल में 50 से 100 रुपए क्विंटल की तेजी

नई दिल्ली, 3 अप्रैल (भाषा)।

स्थानीय तेल-तिलहन बाजार में खाद्य तेलों के दाम में शनिवार को भी मजबूती का दौर जारी रहा। सरसों की मंडियों में आवक कुछ कम होने और भाव आयातित तेलों के मुकाबले सस्ता होने से भाव ऊंचे बोले गए। सरसों तेल जहां 50 रुपए चढ़ गया वहीं सोयाबीन तेल में भी 100 रुपए क्विंटल की तेजी दर्ज की गई।

बाजार सूत्रों का कहना है कि मंडियों में सरसों की आवक जहां कुछ दिन पहले तक 10 से 11 लाख बोरी तक हो रही थी वहीं अब आवक कुछ कम रहकर आठ से नौ लाख बोरी तक ही हो रही है। सरसों के मामले में इस समय स्थिति उपभोक्ता और कारोबारियों दोनों के लिहाज से बेहतर बनी हुई है। उपभोक्ता को जहां बिना मिलावट की सरसों मिल रही है वहीं यह आयातित तेलों के मुकाबले सस्ता होने से मांग में भी है। बहरहाल, खाद्य तेल बाजार के जानकारों का कहना है कि सरकार को तेल-तिलहन बाजार की मौजूदा स्थिति पर ध्यान देना चाहिए।

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि मेसर्स हिमाचल पॉवर प्रोडक्ट्स जिसका पंजीकृत कार्यालय एच-56 उद्योग नगर, रोहतक रोड नई दिल्ली -110041 में है, यह एक पार्टनरशिप फर्म है जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, दिल्ली के साथ पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण संख्या: फर्म/वेस्ट/588/2010 दिनांक 18-02-2010 और जिसे 23.03.2021 को नए पार्टनर श्री नंदकिशोर गुप्ता, मेसर्स ओपीजी रिसोर्स एलएलपी और मेसर्स एनकेए रिसोर्स एलएलपी के प्रवेश के कारण 23.03.2021 को उनके बीच पुनर्गठित किया गया था।

ये नए आने वाले भागीदार फर्म में लाभ और हानि के साथ-साथ निरन्तरित जारी भागीदारों श्री अनिल गुप्ता, श्री सुबोध गुप्ता, श्री अमित अग्रवाल, श्रीमती उर्मिल अग्रवाल, श्रीमती आशी अग्रवाल और श्री आरुष गुप्ता के साथ 23.03.2021 को दिनांकित प्रति साझेदारी के अनुसार अनुपात साझा करेंगे। आने वाले साझेदार के साथ-साथ उपरोक्त फर्मों के अधिकार को, निरन्तरित जारी रखने वाले भागीदारों को सभी अधिकारों, शीर्षक, ग्रहणाधिकार, सहजता, फायदे और आशंकाओं आदि के साथ पूरी तरह से एक साथ, बिना किसी और दावे के और बिना किसी हस्तक्षेप के उनके अधीन व्यक्ति उनके द्वारा प्राप्त संगत पात्र विचार के लिए धारण करेंगे।

हस्ता/-
गौरव अग्रवाल
कंपनी सचिव
(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि मेसर्स शिवालिक इंडस्ट्रीज जिसका पंजीकृत कार्यालय एच-57 उद्योग नगर, रोहतक रोड नई दिल्ली -110041 में है, यह एक पार्टनरशिप फर्म है जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, दिल्ली के साथ पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण संख्या: फर्म/वेस्ट/872/2010 दिनांक 12-03-2010 और जिसे 23.03.2021 को नए पार्टनर श्री सुबोध गुप्ता, मेसर्स ओपीजी रिसोर्स एलएलपी और मेसर्स एनकेए रिसोर्स एलएलपी के प्रवेश के कारण 23.03.2021 को उनके बीच पुनर्गठित किया गया था।

ये नए आने वाले भागीदार फर्म में लाभ और हानि के साथ-साथ निरन्तरित जारी भागीदारों श्री नंद किशोर अग्रवाल, श्री अनिल गुप्ता, श्री सौरभ गुप्ता, श्री अमित अग्रवाल, श्रीमती उर्मिल अग्रवाल, श्रीमती आशी अग्रवाल और श्री आरुष गुप्ता के साथ 23.03.2021 को दिनांकित प्रति साझेदारी के अनुसार अनुपात साझा करेंगे। आने वाले साझेदार के साथ-साथ उपरोक्त फर्मों के अधिकार को, निरन्तरित जारी रखने वाले भागीदारों को सभी अधिकारों, शीर्षक, ग्रहणाधिकार, सहजता, फायदे और आशंकाओं आदि के साथ पूरी तरह से एक साथ, बिना किसी और दावे के और बिना किसी हस्तक्षेप के उनके अधीन व्यक्ति उनके द्वारा प्राप्त संगत पात्र विचार के लिए धारण करेंगे।

हस्ता/-
गौरव अग्रवाल
कंपनी सचिव
(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

प्रपत्र जी - रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमन्त्रण मसौदा

[ऋण शोध अक्षमता तथा दिवालिया (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए(1) के अधीन]

सुसंगत विशिष्टियाँ

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	टर्टल बुक्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	29 अप्रैल, 2016
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली, भारत, कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	1122100DL2016PTC298730
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	फ्लैट सं. 103/3 एम, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	19 जनवरी, 2021 (आदेश 23.01.2021 को प्राप्त हुआ)
7.	रुचि की अभिव्यक्ति के आमन्त्रण की तिथि	4 अप्रैल, 2021
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है :	विवरण www.cirpconsultancy.com पर उपलब्ध है या ई-मेल भेजकर cirp.turtlebooks@gmail.com से प्राप्त किया जा सकता है
9.	धारा 29ए के तहत प्रयोज्य अपात्रता के मानदण्ड उपलब्ध हैं :	विवरण www.cirpconsultancy.com पर उपलब्ध है या ई-मेल भेजकर cirp.turtlebooks@gmail.com से प्राप्त किया जा सकता है
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अन्तिम तिथि	19 अप्रैल, 2021 (5.00 बजे अप. तक/पूर्व)
11.	सम्भावित समाधान आवेदकों की अस्थायी सूची निर्गत होने की तिथि	29 अप्रैल, 2021
12.	अस्थायी सूची की आपत्तियाँ जमा करने की अन्तिम तिथि	4 मई, 2021
13.	सम्भावित समाधान आवेदकों की अन्तिम सूची निर्गत होने की तिथि	14 मई, 2021
14.	सम्भावित समाधान आवेदकों हेतु सूचना ज्ञापन पत्र, मूल्यांकन आव्यूह तथा निवेदन के निर्गमन की तिथि	4 मई, 2021
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन आव्यूह, सूचना ज्ञापन पत्र तथा अधिक सूचना हेतु निवेदन प्राप्ति की रीति	ऊपर क्र.सं. 8 में निर्धारित पात्र सम्भावित समाधान आवेदक तथा गैर-प्रकटन अनुबंध/शपथपत्र क्रियान्वित करने के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में ई-मेल द्वारा निवेदन भेजकर प्राप्त कर सकते हैं।
16.	समाधान योजनाओं के जमा होने की अन्तिम तिथि	3 जून, 2021 (5.00 बजे अप. तक/पूर्व)
17.	समाधान प्रोफेशनल हेतु समाधान योजना जमा करने की रीति	मुहरबन्द लिफाफे में डाक या दस्ती तौर पर तत्पश्चात ई-मेल द्वारा पुष्टि करके
18.	अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकरण के पास समाधान जमा करने की सम्भावित तिथि	21 जून, 2021
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	राजेश रमनानी पंजीकरण सं. IBBI/IPA-002/IP-N00993/2020-21/13187
20.	बोर्ड के साथ पंजीकृत के अनुसार समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता तथा ई-मेल	राजेश रमनानी डी-44, दूसरी मंजिल, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028 ई-मेल : raieshramnani2407@gmail.com
21.	समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार हेतु प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई-मेल	राजेश रमनानी 83, नेशनल मीडिया सेंटर, शंकर चौक, निकट एम्बिएंस मॉल/डीएलएफ साइबर सिटी, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 ई-मेल : cirp.turtlebooks@gmail.com
22.	अधिक विवरण अग्रलिखित पर या इसके साथ उपलब्ध है	cirp.turtlebooks@gmail.com पर ई-मेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
23.	प्रपत्र जी के प्रकाशन की तिथि	4 अप्रैल, 2021

राजेश रमनानी
टर्टल बुक्स प्राइवेट लिमिटेड
के समाधान प्रोफेशनल
IBBI/IPA-002/IP-N00993/2020-21/13187
तिथि : 3 अप्रैल, 2021
डी-44, दूसरी मंजिल, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028

प्रपत्र ए

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

कैम्ब्रिज एनर्जी रिसोर्सेज के लेनदार के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	**कैम्ब्रिज एनर्जी रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	04.11.2009
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, चंडीगढ़
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U40106HR2009PTC039660
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	यूनिट नंबर 336 ए, तीसरी मंजिल, टॉवर बी 3 स्पेज I- टैक पार्क, सैक्टर 49, सोहना रोड गुड़गांव, हरियाणा -122018
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	26.03.2021 (आदेश 31.03.2021 को प्राप्त हुआ)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	27.09.2021
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**सीएस विकास कुमार गर्ग** **पंजीकरण सं.:** IBBI/IPA-002/IP-N00738/2018-2019/12291
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	डी-4 बी, पहली मंजिल, रामप्रस्थ, रघुनाथ मंदिर गाजियाबाद के पास, उत्तर प्रदेश -201011, गाजियाबाद **ईमेल :** vikasgarg_k@rediffmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	1/17 1बी पहली मंजिल, पारस चैम्बर ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110092 **ईमेल :** irp.cambridgeenergy@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	14.04.2021
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वाराधारा 21 की 4 उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणिया, यदि कोई	लागू नही
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु विह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नही
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है:	(क) वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) भौतिक पता: क्रमांक 10 पर दिए गए पते पर

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने **दिनांक 26 मार्च 2021** को **कैम्ब्रिज एनर्जी रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। (आदेश 31.03.2021 को प्राप्त हुआ)

कैम्ब्रिज एनर्जी रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **14 अप्रैल 2021** को अथवा इसके पूर्व में अंतरिम समाधान प्रोफेशनल को ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/-
सीएस विकास कुमार गर्ग
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00738/2018-2019/12291

दिनांक : 02.04.2021
स्थान : गाजियाबाद

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०
CIN:U31200UP2003SGC027460

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विद्युत वितरण मण्डल-कानपुर नगर के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार कार्य हेतु अनुभवी व सक्षम निविदादाताओं द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाती है, निविदा सम्बन्धी पूर्ण सूचना एवं ई-निविदा में यदि कोई संशोधन अथवा निविदा खुलने की तिथि में विस्तार होता है तो इसकी सूचना ई-टेण्डर वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है। **क्र0 1 अतिअल्पकालीन ई-निविदा सं0** 16/वि0वि0मं0का0/2021-22 **विवरण** विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, कानपुर के अन्तर्गत 33/11 केवी उपकेन्द्र बिधनू के अधीन विद्युत लाईनों के आकस्मिक अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य। **क्र0 2 अतिअल्पकालीन ई-निविदा सं0** 17/वि0वि0मं0का0/2021-22 **विवरण** विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, कानपुर के अन्तर्गत 33/11 केवी उपकेन्द्र मेहरबान सिंह का पुरवा के अधीन विद्युत लाईनों के आकस्मिक अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य। **क्र0 3 अतिअल्पकालीन ई-निविदा सं0** 18/वि0वि0मं0का0/2021-22 **विवरण** विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, घाटमपुर के अन्तर्गत 132/33 के0वी0 उपकेन्द्र जहानाबाद से पोषित 33 के0वी0 भदवारा एवं नौरंगा विद्युत लाईन के आकस्मिक अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य। **क्र0 4 अतिअल्पकालीन ई-निविदा सं0** 19/वि0वि0मं0का0/2021-22 **विवरण** विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, घाटमपुर के अन्तर्गत निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदित संयोजनों को पूर्ण जमा मद में ऊर्जीकृत करने का कार्य। **क्र0 5 अतिअल्पकालीन ई-निविदा सं0** 20/वि0वि0मं0का0/2021-22 **विवरण** विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, घाटमपुर के अन्तर्गत पूर्ण जमा मद में विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग का कार्य।

अधी0अभि0 वि0वि0मं0, कानपुर

14/वि0वि0मं0का0 दिनांक 03.04.2021

राष्ट्र हित में बिजली बचायें

खरीदारों में प्रधानमंत्री आवास योजना के फायदों को लेकर जागरूकता की कमी : सर्वे

नई दिल्ली, 3 अप्रैल (भाषा)।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत मिलने वाले लाभों को लेकर लोगों के बीच जागरूकता की कमी दिखाई देती है। सरकार ने हाल में पेश आम बजट में योजना के लाभ आगे बढ़ायें हैं, इसके बावजूद मौजूदा घर खरीदारों में से 46 फीसद से अधिक लोगों को इसके तहत मिलने वाले फायदों की जानकारी नहीं है। एक सर्वेक्षण में यह पता चला है।

गुरुग्राम स्थित एक स्टार्टअप, बेसिक होम लोन, ने यह सर्वेक्षण किया है जिसमें पिछले नौ माह के दौरान सस्ते मकान की श्रेणी के तहत कर्ज लेने वाले एक हजार लोगों से पीएमएवाई योजना के लाभों को लेकर सवाल पूछे गए। सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए 2015 में पीएमएवाई योजना की शुरुआत की।

सर्वेक्षण में 17 प्रतिशत से कम लोगों को ही इसकी जानकारी थी कि पीएमएवाई योजना के तहत अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। केवल 48 फीसद जवाब देने वालों को यह पता था कि आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्लूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआइजी) वर्ग के घर खरीदार इसके तहत कवर होने वाले प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ता है।

बेसिक होम लोन्स, मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों को बैंकों का चक्कर लगाए बिना घर बैठे आवास रिण उपलब्ध कराने का काम करती है, इसके लिए वह कोई शुल्क नहीं लेती है। यह एक वित्तीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है। कंपनी का 16 बैंकों के साथ गठबंधन है। उसका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कर्ज लौटाने की अधिकतम अवधि के बारे में 37 फीसद लोगों ने ही सही जवाब दिया। अधिकतर लोगों ने इसे 30 साल बताया जबकि अधिकतम अवधि 20 साल है।

बेसिक होम लोन्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अतुल मोंगा ने कहा कि पीएमएवाई के तहत पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ स्वतः मिलना चाहिए। उन्हें इसका लाभ पाने के लिए नया आवेदन करने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहिए। योजना को शुरू हुए छह साल हो चुके हैं। इसके बाद से इसमें दो और श्रेणियों को शामिल किया गया है फिर भी पात्र जनता योजना की बुनियादी जानकारी से अनभिज्ञ लगती है। ऐसे में कर्जदाताओं, सरकार और इससे जुड़े तमाम संस्थानों को योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सर्वेक्षण के मुताबिक पीएमएवाई योजना के 2021 के नये संस्करण में कुछ नए फीचर जोड़े गए हैं। इसमें मध्यम आय वर्ग (एमआइजी-एक) और एमआइजी-दो को योजना का लाभ 31 मार्च, 2021 तक दिया गया है। वहीं एलआइजी और ईडब्लूएस वर्गों के लिए इसकी समय-सीमा को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने सस्ते मकानों के लिए गए कर्ज पर दिए जाने वाले ब्याज पर डेढ़ लाख रुपए अतिरिक्त कटौती का लाभ भी दिया है।

उत्पादकों के लिए घाटे का सौदा बना प्राकृतिक गैस का उत्पादन : इक्रा

नई दिल्ली, 3 अप्रैल (भाषा)।

भारत में ज्यादातर क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का उत्पादन अपस्ट्रीम उत्पादकों के लिए घाटे का सौदा बना हुआ है। रेटिंग एजंसी इक्रा ने कहा कि सरकार द्वारा तय गैस के दाम अपने निचले स्तर पर बने हुए हैं और इससे उत्पादन पर नुकसान हो रहा है।

एक अप्रैल से छह महीने के लिए घरेलू गैस का मूल्य 1.79 डॉलर प्रति इकाई (एमबीटीयू) तय किया गया है। नया रंगराजन फॉर्मूला लागू होने के बाद यह इसका सबसे निचला स्तर है। इसके अलावा गहरे पानी, अत्यधिक गहरे पानी, उच्च तापमान और उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से उत्पादित गैस मूल्य की अधिकतम सीमा अप्रैल-सितंबर, 2021-22 के लिए 3.62 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू तय की गई है, जो अक्तूबर-मार्च, 2020-21 के लिए तय मूल्य सीमा 4.06 डॉलर प्रति इकाई से 10.8 फीसद कम है।

इक्रा ने कहा कि इससे ऐसी परियोजनाओं का विकास प्रभावित हो रहा है। इक्रा ने इसी सप्ताह सरकार द्वारा अधिसूचित गैस कीमतों पर टिप्पणी में कहा कि यह स्थिति घरेलू उत्पादकों के लिए प्रतिकूल है, लेकिन इससे गैस उपभोक्ताओं को फायदा होगा। रेटिंग एजंसी ने नोट में कहा कि इतने कम दाम पर भारतीय अपस्ट्रीम उत्पादकों के लिए ज्यादातर क्षेत्रों से गैस उत्पादन घाटे का सौदा बना हुआ है। हालांकि, तेल क्षेत्र सेवाओं/उपकरण की लागत में इस दौरान कुछ कमी आई है।

इक्रा ने कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट से गैस उत्पादकों की प्राप्तियां कुछ बढ़ेंगी, लेकिन इससे कम ही भरपाई हो पाएगी। इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख (कॉरपोरेट क्षेत्र रेटिंग्स) सब्यसाची मजूमदार ने कहा कि आगे चलकर अत्यधिक आपूर्ति की वजह से घरेलू गैस के दाम निकट से मध्यम अवधि में निचले स्तर पर बने रहेंगे। इससे घरेलू उत्पादकों के लिए प्राप्ति अच्छी नहीं रहेगी। हालांकि, इस दौरान ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज/बीपी जैसी कंपनियां गैस उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगी।

पंजाब नैशनल बैंक pnb **punjab national bank**
.......भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

अंचल सस्त्रा केन्द्र, गुरूग्राम
प्लॉट नं. 5, सैक्टर-32, इन्सटीट्यूशनल
एरिया, गुड़गाँव, मेल: zs8345@pnb.co.in

अचल/चल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस,

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल/चल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/भौतिक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम खाते का नाम कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	(क) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि (ख) दिनांक 28.02.2021 तक बकाया राशि (ग) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि (घ) कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	सम्पत्तियों का विवरण/ स्वामित्व का नाम	(क) आरक्षित मूल्य (लाख रु. में) (ख) ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) (ग) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण
1	पीएनबी फव्वारा चौक- गुरुग्राम मैसर्स सफॉयर डिजिटल प्रिंटर्स पताः बी-94, उद्योग विहार फेज V, गुरुग्राम, हरियाणा - 122 003 प्रोप. नीरज चौधरी पताः 781, सेक्टर-17ए, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 और 20/1227, मुस्तिल नं. 41, किला नं. 23, 24/3, मुस्तिल नं. 46, किला नं. 3, 4, 7, 13, 14, 1, 17, वार्ड नं. 7, नूंह की रेवेन्यू एस्टेट, बस स्टैंड के पास, जिला मेवात हरियाणा-122002 गारंटरः श्री सुरिंदर सिंह बेदी, पताः मकान नं. 338, सेक्टर 15, फरीदाबाद, हरियाणा-121007 श्रीमती किरण छोकर, श्री विकास कुमार, श्री राजबीर सिंह, श्री कंवर सिंह, पताः ए-2/15, डीएलएफ सिटी फेज-1, गुरुग्राम हरियाणा-122008 । श्रीमती मोनिया चौधरी, श्री आर एम चौधरी, श्रीमती कविता चौधरी, पताः 781, सेक्टर-17ए, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 श्रीमती भाग्यवती, मकान नं. 83, कस्बा वार्ड नं. 1, फैक्ट्री एरिया समालखा, पानीपत, हरियाणा - 132101	(क) 28.12.2020 (ख) रु. 52,23,58,248.30 + भविष्य का ब्याज और प्रभार (ग) 10.03.2021 (घ) सांकेतिक	1. 20/1227, मुस्तिल नं. 41, किला नं. 23, 24/3, मुस्तिल नं. 46, किला नं. **3, 4, 7, 13, 14, 1, 17,** वार्ड नं. 7, नूहँ के रेवेन्यू ईस्टेट में, बस स्टैण्ड के पास, जिला मेवात, हरियाणा-122002 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री नीरज चौधरी के नाम पर है	(क) रु. **119.00** लाख (ख) रु. **11.90** लाख **(11-05-2021)** (ग) रु. **50,000/-**	**12.05.2021** पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपाह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं
		(क) 28.12.2020 (ख) रु. 52,23,58,248.30 + भविष्य का ब्याज और प्रभार (ग) 10.03.2021 (घ) भौतिक	2. प्लांट एवं मशीनरी जोकि डिजीटल प्रिंटिंग से संबंधित बी-94, उद्योग विहार, फेज- **V,** गुरुग्राम में रखी है प्लांट एवं मशीनरी विवरण 1. **Cannon IR105 & C1** IR105 B/W Laser Printer-105 PPM & C1-14 PPM- 03 Nos 2. **HP Latex Plotter** Design-jet L26500 61' width- 01 No 3. **Graph-tech Vnyl Cutter** CE 5000-120- 01 No 4. **Canon 6000 Color Image Press** C 6000 Laser Printer 60 PPM- 01 Nos 5. **Canon 1135 Monochrome Image Press** IR 1135 B/W Laser Printer-135 PPM- 02 Nos 6. **Business Card Cutting Machine** ZIP A3+Prog. Cutting Machine- 01 Nos 7. **Sudharshan Cutting Machine** Prop. Cutting Machine 40"- 01 Nos 8. **Horizon Book Maker (Perfect Binding) Machine** BQ 270 Book Binder, Horizon Saddle Stitching Machine, SPF-200 Saddle Stitching, HOF Digital Collator/ Cover Inserter, VAC 100-Collator- 01 Nos 9. **Spiral Punching Machine** Power Press-01 Nos 10. **Hand Pallet** Cap.: 2.5 Ton- 01 Nos 11. **Laser Cutting Machine** Cutting Machine 30"x40" Dual Laser-01 Nos 12. **Electrical Panel & Electrical Fittings** Panel 250 KVA with Load Break Switch 13. **Computers - 02 Nos,** 14. **Server Lock, 15. Battery- 45 Nos, 16. UPS- 02 Nos**	रु. **41.40** लाख (ख) रु. **4.14** लाख **(11-05-2021)** (ग) रु. **10,000/-**		

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) सम्पत्तियों की बिक्री जैसे है जहां है आधार पर की जा रही है। (2) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उदघोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (3) नीलामी ई-नीलामी प्लेटफार्म वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से उपरोक्तानुसार समय एव तिथि के अनुसार की जाएगी। (4) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : **www.ibapi.in, www.tenders.gov.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app, https://etender.pnbnet.in:8443/banks/detail/pnb/MTQy** देखें।

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

दिनांक : 03.04.2021, स्थान : गुरुग्राम

(राम बाबू) मुख्य प्रबंधक, प्रतिभूति लेनदार मो. 9897209897,
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

उत्तर प्रदेश पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन लि0

अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण-निविदा सूचना संख्या-01/वि0जा0पा0मं0/आगरा/2021-22

1. **ई-निविदा विशिष्टीकरण संख्या-01/वि0जा0पा0मं0/आ0/2021-22:-** वर्ष 2021-22 के लिये विद्युत जानपद पारेषण खण्ड आगरा के अन्तर्गत जिला आगरा, मथुरा, हाथरस एवं फिरोजाबाद में स्थित विभिन्न पारेषण उपकेन्द्रों पर वृक्षारोपण का कार्य, समय अवधि 01 माह, धरोहर धनराशि रू0 22000/-, निविदा मूल्य रू0 1770+250, अन्तिम तिथि 19.04.2021. निविदा का विस्तृत विवरण, विस्तारीकरण शुद्धिकरण इत्यादि की सूचना ई-टेण्डर की बेवसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है, जिसको बेवसाइट के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। बैंक खाता अधिशासी अभियन्ता (जानपद) आगरा A/C No.-30065294923 IFSC Code- SBIN0005717 Payable at S.B.I. Foundry Nagar (Agra). **अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल-आगरा, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, निकट अमर उजाला प्रेस, पारेषण भवन, ककरेटा रोड, 22के0वी0 उपकेन्द्र सिकन्दरा आगरा। "राष्ट्र हित में बिजली बचायें" पत्रांक: 02-वि0जा0पा0मं0आ0/निविदा/दिनांक:03.04.2021**